"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2014—फाल्गुन 30, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक एफ-1-03/2012/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश मिश्रा, भापुसे (2005) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 6-53/2013/वा.कर./पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन रुपये 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री दीपक गिरि, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-नौ.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्र.-दो.
2.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग.
3.	श्री मुकेश कुमार त्यागी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-पांच.	सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय रायपुर.
4.	सुश्री लता जलहरे, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-चार.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग क्रमांक-एक.
5.	श्री महेन्द्र कुमार धनेलिया, वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग क्रमांक-एक.
6.	श्री मनीष मिश्रा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-एक.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई, भाग-1 में

लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना दुर्ग-भिलाई-भाग-1 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-14-सा-5 में संशोधन

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-14-सा-5 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14-सा-5	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	14-सा-5	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	14-सा-5	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
4.	14-सा-5	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	14-सा-5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	14-सा-5	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	14-सा-5	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
8.	14-सा-5	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-1 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-1 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला कांकेर के अंतागढ़ निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/ 435/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	कोसमकुण्डा प. ह. नं. 32	0.982	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा	मिरौनी, बैराज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/ 437/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	उड़कांकन प. ह. नं. 33	0.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा	मिरौनी, बैराज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/ 439/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	जैतपुर प. ह. नं. 32	1.159	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा	मिरौनी, बैराज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/ 441/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	पण्ड्रीपाली प. ह. नं. 33	0.924	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा	मिरौनी, बैराज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/ 443/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	खपरीडीह प. ह. नं. 31	0.667	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा	मिरौनी, बैराज निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 14 फरवरी 2014

क्रमांक /अ. भू. अ./प्र. क्र. 01/अ-82/वर्ष 2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	खुड़मुड़ी प.ह.नं. 38	0.390	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मुरेठी-खुड़मुड़ी मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2014

क्रमांक 444/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 11/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 75/10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-41.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/1	1.36
163/1	0.27
164/1	0.97
165/1	0.03
165/2	0.02
168	0.48
172	0.33
173	0.08
179	0.44
180/1	0.68
185/1	0.42
188	0.19
207	0.69
209	0.07
210	3.44
224	0.68
225	0.14
226	1.03
227	0.45
246	0.29
247/4	0.03
251	0.41
252/2	0.11
253	0.11
254	0.13
255/2	0.13
256	0.40
257	0.14
259	0.23
262	0.20
263	0.31
264/1	0.07
265	0.17
266/1	0.01
267	0.29
270	0.11
272	0.28
278/1	0.04
281	0.78
282	1.17
285	6.00
286/1	0.62
286/2	0.12
286/3	0.26
287/1	2.22
287/2	1.50
287/3	1.94
291/2	0.06
294/2	0.51
295	0.90
301/1	2.62
302	1.22
323	0.01
335	0.02
343	0.04
344	0.06
399	1.22
403/1	0.34
424/1	0.18
424/2	0.12
425/2	0.64
426	0.38
428	0.08
437/1	0.03
442	0.70
457	0.26
512	0.40
518/4	0.02

(1)	(2)
561/4	0.06
563	1.04
573	0.17
581/1	0.68
601/1	0.08
योग 13	41.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नया रायपुर विकास कार्य हेतु योजना क्षेत्र-कम्पोजिट युज हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2014

क्रमांक 445/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 12/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-निमोरा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.326 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
812	0.085
813/1	0.033
813/2 (ख)	0.648
813/3 (ख)	
813/4 (ख)	
813/2	0.052
813/3-4 (ख)	
813/5	0.030
813/6	0.052
813/7	0.008
813/8	0.106
813/9	0.039
813/10	0.039
813/11	0.076
813/12	0.029
814/2	0.037
814/3	0.094
814/4	0.190
814/5	0.092
814/6	0.087
1126/9	0.202
1126/18	0.024
1126/20	0.036
1130/3	0.121
1131	0.470
1132	0.975
1133/1	0.227
1133/3	
1133/2	0.202
1133/4	0.263
1133/6	0.336
1134/3	0.175
1134/4	0.050
1135/5	0.110
1135/6	0.122
1135/7	0.292
1136/2	0.279
1137/2	0.162
1139/2	0.040
1140/3	0.340
1141/1	0.166
1141/2	0.149
1141/3	0.146
1142/3	0.045
1142/4	0.049
1145/1	0.207
1145/2	0.291
1147	0.538
1148	0.521
1149	0.316
1150	0.433
1151/1	0.457
1151/2	0.077
1152	0.510
1153	0.379

	(1)	(2)
	1154	0.806
	1155/1	1.469
	1155/2	0.405
	1157	0.069
	1160/3	0.085
	1160/4	0.085
योग	57	13.326

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.